

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना संख्या—भवन / 10 / विविध(समर्तीपुर)–06 / 2017 १०२३ (ए) पटना, दिनांक—१.१०.१७

:: अधिसूचना ::

श्री जंग बहादुर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, (उत्तरी) डालटेनगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समर्तीपुर, भवन निर्माण विभाग द्वारा पथ प्रमंडल (उत्तरी) डालटेनगंज में सहायक अभियंता के रूप में पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 1997–98 में गैर योजना मद में आवंटित राशि के व्यय तथा पथों में कराये गये कार्यों में बरती गयी अनियमितता के आरोप में पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-7208(एस) दिनांक—20.09.2002 द्वारा श्री जंग बहादुर सिंह, सहायक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चालायी गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक—675(एस) दिनांक—18.08.2003 द्वारा श्री जंग बहादुर सिंह, सहायक अभियंता से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरान्त आरोप संख्या—01 एवं 04 में निहित आरोप तथ्यों के लिए इन्हें दायित्वों/कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने तथा वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पाये जाने के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या—1909(एस) दिनांक—13.3.2004 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया।

- (1) चेतावनी
- (2) दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्ल००जे०सी० संख्या—14655 / 2007 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—03.04.2015 को पारित न्यायादेश में उक्त दण्डादेश को निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक—03.04.2015 के विरुद्ध पथ निर्माण विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एल०पी०ए० संख्या—1995 / 2015 दायर किया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक—28.01.2017 को खारिज कर दिया गया।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सरकार के निर्णयानुसार श्री जंग बहादुर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल (उत्तरी) डालटेनगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समर्तीपुर, भवन निर्माण विभाग के विरुद्ध पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या—1909 दिनांक—13.03.2004 द्वारा निर्गत दण्डादेश को बाध्यकारी परिस्थिति में निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/10/17

सरकार के संयुक्त सचिव,

✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—भवन / 10 / विविध(समर्तीपुर)–06 / 2017 १०२४ (ए) पटना, दिनांक—१.१०.१७

प्रतिलिपि—उप सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को हार्ड कॉफी एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/10/17

सरकार के संयुक्त सचिव,

✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

१३०८१३

ज्ञापांक-भवन / 10 / विविध(समर्स्तीपुर)-06 / 2017 ९०२५(६) पटना, दिनांक- ९.१०.१७
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के
आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

6/10/17
सरकार के संयुक्त सचिव,
✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10 / विविध(समर्स्तीपुर)-06 / 2017 ९०२५(६) पटना, दिनांक- ९.१०.१७
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार,
पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/10/17
सरकार के संयुक्त सचिव,
✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10 / विविध(समर्स्तीपुर)-06 / 2017 ९०२५(६) पटना, दिनांक- ९.१०.१७
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण
विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण
विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा, भवन निर्माण
भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल (उत्तरी) डालटेनगंज/अवर सचिव, भवन मिर्माण विभाग/श्री जंग
बहादुर सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, (उत्तरी) डालटेनगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, समर्स्तीपुर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/10/17
सरकार के संयुक्त सचिव,
✓ भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
५.१०.१७